डीजी परिपत्र संख्या-8 /2013

ए0सी0 शर्मा,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः जनवरी 29 ,2013

प्रिय महोदय,

जनपदों से बिसरा के रख-रखाव के संबंध में जो सूचनायें इस मुख्यालय में प्राप्त हुई हैं, उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदेश में रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये विसराओं की संख्या अधिक होने तथा समय से रासायनिक परीक्षण आख्या प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है, जिससे गम्भीर प्रकृति के अपराधों में भी विवेचना त्वरित गति से नहीं हो पा रही है तथा न्यायिक कार्य के सम्पादन में भी विलम्ब हो रहा है।

2. ऐसे विसरा जिनमें मृत्यु जहर खाने से होना प्रतीत हो रहा है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है तो इस प्रकार के विसराओं को प्राथमिकता के आधार पर रासायनिक परीक्षण हेतु परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से पत्र लिखवा कर निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजें, जिससे विवेचना में रासायनिक परीक्षण आख्या को सम्मिलित कर विवेचना के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके तथा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालयों में बिना किसी विलम्ब के प्रेषित किये जा सकें।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

29.1.13

( ए0सी0 शर्मा )

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।